

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक-20.07.2015

संख्या- 1/प्रशि० निजी 17/2015 श्र०सं०.....105...../ श्रीमती अमृता, बि०औ०प्र०से०,
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शिवहर को बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014
के आलोक में संशोधित बिहार सेवा संहिता के नियम 220 में निहित प्रावधान के तहत दिनांक
07.7.15 से 02.01.16 तक कुल 180 दिनों की मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

2. श्रीमती अमृता के मातृत्व अवकाश अवधि में श्री परमेश परासर, बि०औ०प्र०से०,
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सीतामढ़ी को अपने कार्यों एवं दायित्वों के अलावे प्राचार्य,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शिवहर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

3. श्रीमती अमृता के योगदान करने अथवा प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
शिवहर के पद पर किसी अन्य पदाधिकारी के पदस्थापन होने तक अथवा अगले आदेश तक
बिहार कोषागार संहिता के नियम 148 (पुराना) एवं 84 (नया) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए श्री परासर को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया
जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

20.07.15
(इन्दु सिंह)

सरकार के उप-सचिव।

ज्ञापांक-1/ प्रशि० निजी 17/2015 श्र०सं०.....105...../ पटना, दिनांक-20.07.2015

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार
राजपत्र के प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/अवर
सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी,
संबंधित कोषागार/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/सम्बन्धित
पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.07.15
सरकार के उप-सचिव।